

कार्यालय- मुख्य चिकित्सा अधिकारी उत्तरकाशी।

पत्रांक : विविध/31/2019-20/1054

दिनांक 16.11.2019

प्रेषित,

1. प्रमुख अधीक्षक,
जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी।
2. चिकित्सा अधीक्षक,
जिला महिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी।
3. चिकित्सा अधीक्षक,
सामु0स्वा0केन्द्र नौगांव, उत्तरकाशी।
4. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी,
सामु0स्वा0केन्द्र पुरोला/चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी।
5. प्रभारी चिकित्साधिकारी,
प्रा0स्वा0 केन्द्र भटवाड़ी/डुण्डा/मोरी, उत्तरकाशी।

विषय : **E- Cigarettes(Electronic Nicotine Dilivery Systems)** किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश, 2019 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,


उपरोक्त विषयक सचिव(प्रभारी), चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या-798/XXVII-3-2019-19/2019 दिनांक 22 अक्टूबर 2019, तथा कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी के पत्र संख्या 613/17-एम0बी0/(2016-17) दिनांक 04.11.2019(छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।


अतः उक्त पत्र की छायाप्रति आपको संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि पत्र में दिये गये निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोपरि।

पृ०सं० : विविध/31/2019-20/1054

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी महोदय, उत्तरकाशी को सूचनार्थ प्रेषित।


मुख्य चिकित्सा अधिकारी
01/ उत्तरकाशी।
तददिनांक।


मुख्य चिकित्सा अधिकारी
01/ उत्तरकाशी।